विभागों के सहयोग से समन्वित ग्रामीण विकास की परियोजनाओं में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय निवेशों के जरिए प्रदर्शन तथा सूचना का प्रचार प्रसार एवं योगदान।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भी किसानों, खेतों पर काम करने वाली महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और कृषि उत्पादन तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में क्षेत्र-स्तरीय विस्तार कर्मचारियों की आवश्यकता पर आधारित और शिल्प अभिमुख प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 89 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। ये कृषि विज्ञान केन्द्र राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों और चुने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षार्थियों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए एक दिन से लेकर 6 माह की अलग-अलग अवधियों के लिए केम्पस के अंदर और केम्पस के बाहर दोनों तरह के पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रशिक्षण के विषय हैं : सस्य उत्पादन, बागबानी, मछली पालन, पशुपालन, डेरी उद्योग, मधुमक्खी पालन इत्यादि। कृषि विज्ञान केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा अनुबन्ध-1 में दिया गया है। [देखिये परिशिष्टCXLIV अनुपत्र संख्या 158]

इसके अलावा, गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी निपुणताएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 19/9 से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राईसेम) की एक केन्द्रीय प्रोयोजित योजना भी चलाई जा रही है ताकि वे कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों, सेवा उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के क्षेत्रों में अपना रोजगार शुरू कर सकें विशिष्ट परिस्थितियों में परियोजना लिंकेजिज के मामले में प्रशिक्षित युवाओं को मजदूरी वाले रोजगार में शामिल करने के लिए अगस्त 1983 से इस उद्देश्य का और विस्तार किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम कवरेज प्रशिक्षण के लिए चुने गए कुल युवाओं का 30 प्रतिशत होना चाहिए। चुने गए उम्मीदवारों में महिलाओं का कवरेज कम से कम 33⅓ प्रतिशत होना चाहिए।

Role of various centres for the care of drug addicts

3774. SHRI RAMSINGHBHAI PATALIYABHAI RATHVAKOLI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is fact that a number of Centres and clinics are doing good work in Gujarat, Delhi and other places for Drug Addicts

(b) if so, what are the details thereof and the number of persons benefited during 1st January, 1988 to 31st October, 1987;

(c) how many persons have come in each Centre during the above period for medical care;

(d) the amount given and spent each Centre during the above period;

(e) what encouragement Government propose to give to these Centres; and

(f) whether Delhi Nashabandhi Samiti is also doing such activities; if so, how much grant and other facilities were provided to it by Government, NDMC, DMC, Delhi Administration during 1st Jan. 1985 to 31st October, 1987?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINSTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (f) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.